न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—505/2015/223 (2015/00242)

1. मनोहर कंवर पत्नि भरतसिंह,
2. भानु प्रताप पुत्र भरतसिंह,
3. नीशा कंवर पुत्री भरतसिंह,
4. कैलाश कंवर पुत्री जयसिंह,
5. नेहा कंवर पुत्री भरतसिंह,
6. गजेन्द्र सिंह पुत्र जयसिंह,
7. उषा कंवर पुत्री जयसिंह,
8. आशा कंवर पुत्री जयसिंह,
9. दुर्गा कंवर पुत्री जयसिंह,
10. भुला कंवर पुत्री जयसिंह,
11. संतोष कंवर पुत्री जयसिंह,
12. नारायण पुत्र गिरवरसिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी शम्भूपुरा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मधुकंवर पत्नी भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी शम्भूपुरा, तह0 केकड़ी जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
3. महावीरसिंह पुत्र गिरवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी शंभूपुरा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 8.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 9/2012.

उपस्थितः—

1. श्री योगेन्द्रसिंह, वकील अपीलांटस ।
2. श्री वी0पी0सिंह राजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 18.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एव डिक्री दिनांक 8.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण स्व0 भरतसिंह एवं स्व0 जयसिंह जिनका स्वर्गवास हो दौराने वाद हो चुका है तथा जिनके

वारिसान अपीलांट संख्या 1 लगायत 11 है तथा अपीलांट संख्या 12 व रेस्पो0 संख्या 3 ने एक राजस्व वाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडत्री के न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 53 व 188 के तहत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 166 रकबा 8.95 है0 भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगण है तथा 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पो0 संख्या 1 है । उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है । राजस्व लगान आराजी का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से अदा करते है । अब संयुक्त रूप से काश्त करना मुश्किल हो रहा है । वादीगण आराजी में जीरा व गेंहू की फसल काश्त करना चाहता है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 न स्वंय एवं उसके परिवार के सदस्यों ने फसल काश्त करने से मना कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 नके संपूर्ण आराजी पर अकेले मालिक होना बताकरण वादीगण के हिस्से में हस्तक्षेप कर रहा है जिससे वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात का विधिक बंटवारा किया जाकर अलग–अलग खाते दर्ज किये जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.6.2015 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करने की आज्ञाप्ति पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को दिनांक 8.6.2015 को लोक अदालत में नियत कर दिया जिसकी सूचना उनके द्वारा अपीलांटस को नहीं दी गई तथा बिना अपीलांटस को सूचना दिये व सहमति के केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 1 व 3 की सहमति के आधार पर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने में त्रुटि की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने वादीगण के वाद को विक्रय पत्र दिनांक (26.5.1988) 31.5.1988 को आधार मानते हुए बंटवारा किया जाने का निवेदन किया जिसमें अपीलांट की ओर से बिना सहमति लिये अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित की है । जबकि अपीलांट दिनांक 31.5.1988 के विक्रय पत्र के अस्तित्व को शुरू से नकारते आ रहे है । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद की पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाबदावे व कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र हेतु नियत थी । अधी0न्याया0 ने अपूर्ण पत्रावली को बिना किसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाये केवल रेस्पो0 संख्या 1 व 3 के निवेदन पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण दोनों पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाइ का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस की ओर से अधी0न्याया0 के केवल रेस्पो0 संख्या 3 ही अभिभाषक से संपर्क में था जो रेस्पो0 संख्या 1 से मिलकर गलत निर्णय प्राप्त कर लिया जिसकी जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं हो पाई हाल ही में अधी0न्याया0 के निर्णय की पालना में

तहसीलदार, केकड़ी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 26.5.1998 का हवाला देते हुए भू–भाग रेस्पो0 संख्या 1 के हिस्से मार्ग दर्शाया गया का मौका रिपोर्ट में किये जाने बाबत् पक्षकारों को सूचित किया तब अपीलांटस को अधी0न्याया0 के निर्णय की जानकारी हुई जिस पर निर्णय की नकल हेतु दिनांक 29.9.2015 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 29. 9.2015 को प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । जमाबंदी संवत् 2041 में खसरा नंबर 53 रकबा 55 बीघा 5 बिस्वा है । उक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 ने कुंवरानी जी बाघेली धर्म पत्नी नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी बघेरा तहसील केकड़ी से दिनांक 26.5.1998 को आराजी का पश्चिमी ओर का 1/2 हिस्सा क्रय कर खातेदारी कब्जा काश्त स्वामित्व प्राप्त किया था तब से आज दिवस तक प्रतिवादी संख्या 1 हीउक्त आराजी के पश्चिमी ओर के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चली आ रही है । वादीगण/अपीलांटस का उक्त आराजी के पश्चिमी ओर के प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से में कोई हक व अधिकार नहीं है । विक्रय पत्र में आराजी के पश्चिमी ओर का 1/2 हिस्सा विक्रय किये जाने का अंकन है । रेस्पो0 संख्या 1 विक्रय पत्र के अनुसार ही काबिज काश्त है । अधी0न्याया0 ने सहमति के आधार पर वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया गया । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने दिनांक 8.6.2015 को प्रकरण को लोक अदालत में रखकर राजीनामे के आधार पर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में संलग्न राजीनामा प्रपत्र में रेस्पो0 संख्या 1 ने अंकित किया है कि विक्रय पत्र दिनांक 31.5.1988 के आधार पर बंटवारा कर तरमीम कर दिया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नही है एवं दावा स्वीकार है । पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र 28.6.1988 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेता कुंवरानी बाघेली पत्नि नरपतसिंह जाति राजपूत, द्वारा वादीगण नारायणसिंह, जयसिंह, महावीरसिंह, बडदसिंह, पि0 गिरवरसिंह, जाति राजपूत को विवादित आराजी खसरा नंबर 53 रकबा 55 बीघा 5 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा विवादित भूमि के पूर्वी ओर का विक्रय किया गया है । इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेता ने विवादित भूमि खसरा नंबर 53 रकबा 55 बीघा 5 बिस्वा के शेष 1/2 हिस्से का बैचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र रेस्पो0 संख्या 1 को किया है । उक्त विक्रय पत्र में विवादित भूमि खसरा नंबर 53 के पश्चिमी हिस्से की भूमि के बैचान का अंकन है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्रों के परिप्रेक्ष्य में राजीनामे के आधार पर बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 8.6.2015 विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार

अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.6.2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर